



प्रमाण क्रमांक R. 5233-4116  
न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल कैम्प रीवा जिला रीवा म0प्र0



R 5233 II/16  
छत्रपति सिंह तनय स्व0 रंगदेव सिंह निवासी ग्राम पलिया 352 तहसील रायपुर  
कचुलियान हाल मनगवां जिला रीवा म0प्र0, .....निगरानीकर्ता

बनाम

1. छत्रपति सिंह तनय स्व0 रंगदेव सिंह निवासी ग्राम पलिया 352 तहसील रायपुर कचुलियान जिला रीवा म0प्र0,
2. उदयराज सिंह तनय स्व0 रंगदेव सिंह निवासी ग्राम पलिया 352 तहसील रायपुर कचुलियान हाल मनगवां जिला रीवा म0प्र0,

.....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्रीमान् नायब  
तहसीलदार वृत्त डेल्ही तहसील मनगवां जिला  
रीवा म0प्र0, के प्रकरण  
क्रमांक-02/अ-5/2014-15 आदेश  
दिनांक-07.04.2015,

.....  
अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता  
1959ई.,  
.....

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से आलोच्य आदेश काबिल निरस्तगी के है।
2. यह कि आराजी नं0 1054 के बटांकन 1054/1 आराजी नं0 1054/2, आराजी नं0 1054/3 में से रकवा 1/2 में 2.25ए. में से

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*




34

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक...R.5233-III/16..... जिला...रीवा.....

.....~~जयनारायण सिंह~~ विरुद्ध ~~इ.प्र.प.सी. सिंह~~.....

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री...<del>जयनारायण सिंह</del>... अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील...<del>सतना</del>...के प्रकरण क्रमांक...<del>02/415/2014-15</del>...में पारित आदेश दिनांक...<del>07-04-15</del>...के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर...<del>रीवा</del>...के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक...<del>2-8-3-19</del>...को कलेक्टर...<del>रीवा</del>...के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

